

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ 2
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
प्रकरण सं0 : 06 सन 2018

अनवान :-

1. मनफुल 2. कुरडाराम 3 रामप्रताप 4 रामकुमार पि0 रामरतन जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता स्वीकृत करने हेतु।

उपरिथत :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :- 07.08.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने विरुद्ध गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता स्वीकृति करने का इस आष्य का पेश किया की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 94/101 के खसरा न0 68/0.1640हैक , खसरा न0 72/2.0740हैक व खसरा न0 169/3.7310हैक , खसरा न0 280/4.5150हैक , खसरा न0 281/1 की 32.0350हैक, खसरा न0 283/8.3460हैक कुल तादादी 21.8650हैक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है प्रार्थीगण की सीव से होकर ग्राम असरजाना के लिए खाता संख्या 94 के खसरा न0 280/1 में से 0.2024हैक व खसरा न0 281/1 की 0.190हैक व खसरा न0 283 में 0.3542हैक रास्ता राज्यहित में सार्वजनिक हितार्थ एवं प्रयोजनार्थ हेतु दे रखा है तथा उपरोक्त रास्ता पूर्व से पश्चिम राज्यहित में आमजन की सुविधा हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा खसरा न0 278 की 0.443हैक भूमि रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में अकन है को खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के खाता में दर्ज की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार नोहर से जांच की जाकर मौका रिपोर्ट मय अभिशंषा चाहा गया...।.

तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 579 दिनांक 25.07.2018 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई की रोही मौजा असरजाना के खसरा न0 278 , 280/1 , 281/1 व 283 की मौका व रिकार्ड के अनुसार खसरा न0 278 खाता संख्या 1 में 0.443हैक गे0मु0 रास्ता दर्ज है तथा खसरा न0 68/0.164 , 72/2.074 , 169/3.731 , 280/1 की 4.5150 , 281/1 की 3.035 , 283 की 8.346 कुल 21.865हैक बरानी प्रथम भूमि मनफुल, कुरडाराम , रामप्रताप , रामकुमार पि. रामरतन जाति जाट के नाम से दर्ज है उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है प्रार्थीगण खसरा न0 280/1 की 0.2024हैक , खसरा न0 281/1 में 0.190हैक , खसरा न0 283/1 में 0.3542हैक तीनों खसरों में रास्ता देना चाहते है भूमि मौका पर खाली है खसरा न0 278 में 0.443हैक जो स्वीकृत शुद्धा रास्ता है यदि नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो पुराना स्वीकृत रास्ता को कोई औचित्य नहीं रहेगा तथा नया रास्ता स्वीकृत करने से नोहर पल्लू सडक की लम्बाई कम होगी एवं सडक का धुमाव कम होगा । मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की गई।

हमने उभयपक्षों को सुना प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता देने हेतु सहमत है व बदले में वर्तमान में स्वीकृत रास्ता की भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज की जावे। तथा तहसीलदार नोहर ने वर्तमान रास्ता आमजन की सुविधा के मध्यनजर उचित है व पुराने रास्ते का कोई औचित्य नहीं होना व्यक्ति किया ।


हमने उभपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 94/101 के खसरा न0 68/0.1640 हैक , खसरा न0 72/2.0740 हैक व खसरा न0 169/3.7310 हैक , खसरा न0 280/4.5150 हैक , खसरा न0 281/1 की 32.0350 हैक, खसरा न0 283/8.3460 हैक कुल तादादी 21.8650 हैक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है प्रार्थीगण की सीव से होकर ग्राम असरजाना के लिए खाता संख्या 94 के खसरा न0 280/1 में से 0.2024 हैक व खसरा न0 281/1 की 0.190 हैक व खसरा न0 283 में 0.3542 हैक रास्ता राज्यहित में सार्वजनिक हितार्थ एवं प्रयोजनार्थ हेतु देना चाहते है ताकी आमजन की सुविधा हेतु नोहर पल्लू सडक की दुरी कम हो जावे तथा वर्तमान में जो धुमाव है वह खत्म हो जावे एवं उक्त रास्ते के बदले में पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्तों की भूमि को चाहा जा रहा है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा भी मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा असरजाना के खसरा न0 278 , 280/1 , 281/1 व 283 की मौका व रिकार्ड के अनुसार खसरा न0 278 खाता संख्या 1 में 0.443 हैक गे0मु0 रास्ता दर्ज है तथा खसरा न0 68/0.164 , 72/2.074 , 169/3.731 , 280/1 की 4.5150 , 281/1 की 3.035 , 283 की 8.346 कुल 21.865 हैक बारांनी प्रथम भूमि मनफुल, कुरडाराम , रामप्रताप , रामकुमार पि. रामरतन जाति जाट के नाम से दर्ज है उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है प्रार्थीगण खसरा न0 280/1 की 0.2024 हैक , खसरा न0 281/1 में 0.190 हैक , खसरा न0 283/1 में 0.3542 हैक तीनों खसराओं में रास्ता देना चाहते है भूमि मौका पर खाली है खसरा न0 278 में 0.443 हैक जो स्वीकृत शुद्धा रास्ता है यदि नया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो पुराना स्वीकृत रास्ता को कोई औचित्य नही रहेगा तथा नया रास्ता स्वीकृत करने से नोहर पल्लू सडक की लम्बाई कम होगी एवं सडक का धुमाव कम होगा।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रास्ता आमजन व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया जाना उचित है तथा नया रास्ता स्वीकृत करने के पश्चात पूर्व में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता का कोई औचित्य नही रहेगा जब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता देने को सहमत है इसलिये पुराना रास्ता जिसका कोई औचित्य नही रहेगा को प्रार्थीगण को दिया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण की सहमति तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट / अभिशषा के आधार पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आमजन की सुविधा के मध्यजनर रखते हुए रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 91/101 के खसरा न0 280/1 में से 0.2024 हैक व खसरा न0 281/1 में से 0.190 हैक व खसरा न0 283 में से 0.3542 हैक भूमि में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा बदले में खाता संख्या 1 के खसरा न0 278 की 0.4430 हैक भूमि जो रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को प्रार्थीगण के खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।


(सैयद शीसब अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर